रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012025-260556
CG-DL-E-28012025-260556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 24, 2025 /माघ 4, 1946
No. 65] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अधिसूचना

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

नई दिल्ली ,23 जनवरी, 2025

सं. 1-सीएसीएएफ/एलएलपी-एफ/2025— समय-समय पर यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15(2)(चक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उन्हें संबद्ध परिभाषा में समनुदेशित किया गया है :

क. संस्थान/आईसीएआई : 'संस्थान'/'आईसीएआई' से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान अभिप्रेत है।

ख. परिषद : 'परिषद' से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 9 के अनुसार गठित संस्थान की परिषद अभिप्रेत है।

ग. अधिनियम : 'अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) अभिप्रेत है।

घ. सीमित दायित्व भागीदारी/एलएलपी : 'सीमित दायित्व भागीदारी'/'एलएलपी' का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 2(गक) में इसका है और वह आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत होगी।

ङ. मूल एलएलपी : 'मूल एलएलपी' से ऐसी कोई एलएलपी अभिप्रेत है, जिसके 50% से अधिक भागीदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो किसी अन्य एलएलपी को अपने भागीदार के रूप में स्वीकार कर रही है।

च. भागीदार एलएलपी : 'भागीदार एलएलपी' से ऐसी कोई एलएलपी अभिप्रेत है, जिसके 50% से अधिक भागीदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो किसी अन्य एलएलपी के साथ भागीदारी कर रही है।

3. पात्रता

1. कोई भी फुलटाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट/(सीए) या सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जिसके 50% से अधिक भागीदार प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत हैं और जो एक नई एलएलपी का सृजन कर सकते हैं या जो किसी विद्यमान एलएलपी में एक भागीदार के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु यह कि व्यष्टिक फुलटाइम प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकारों की संख्या, एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 7 का अनुपालन करते हुए किसी भी समय दो से कम नहीं होनी चाहिए। यही नियम मूल/भागीदार एलएलपी, दोनों पर लागू होगा।
2. पात्रता की गणना हेतु बहुमत या 50% से अधिक मानदंड की गणना भागीदारों की संख्या के साथ-साथ एलएलपी में उनके कुल लाभाशः के आधार पर की जाएगी, ताकि मूल एवं भागीदार एलएलपी दोनों के लिए बहुमत मानदंड स्थापित हो सके।
3. व्यक्तिगत भागीदारों की संख्या किसी भी समय बहुमत में रहेगी, अर्थात् भागीदारों की संख्या 50% से अधिक होगी और साथ ही एलएलपी के भागीदारों की तुलना में लाभ में उनका सकल शेयर भी 50% से अधिक होगा।
4. भागीदार एलएलपी इन दिशानिर्देशों के अधीन केवल एक मूल एलएलपी की भागीदार बन सकती है। इसी प्रकार, मूल एलएलपी किसी अन्य एलएलपी की भागीदार नहीं बन सकती।

4. लागू उपबंध

1. एलएलपी का गठन समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले 'चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949', 'एलएलपी अधिनियम 2008', 'सीए फर्मों को एलएलपी में संपरिवर्तित करने संबंधी परिषद के दिशानिर्देश' के लागू प्रावधानों, समय-समय पर संशोधित तथा इस विषय पर जारी एमसीए सर्कुलर द्वारा नियंत्रित होगा।

5. नामकरण खंड

1. जब चार भारतीय एलएलपी, अर्थात् ए एंड कंपनी एलएलपी, बी एंड कंपनी एलएलपी, सी एंड कंपनी एलएलपी और डी एंड कंपनी एलएलपी, जहां 50% से अधिक भागीदार प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) हैं और कथित मानदंडों के अनुसार संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत हैं, एलएलपी का सृजन करने के लिए एक साथ आ सकते हैं या भागीदार के रूप में किसी मौजूदा एलएलपी में सम्मिलित हो सकते हैं और वे ऐसा समय-समय पर यथासंशोधित 'चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949', 'एलएलपी अधिनियम, 2008', 'सीए फर्मों को एलएलपी में संपरिवर्तित करने संबंधी परिषद के दिशानिर्देश, 2011' के लागू उपबंधों और अन्य बातों के साथ, समय-समय पर यथासंशोधित इस विषय पर जारी एमसीए के परिपत्रों के अनुसार कर सकेंगे।
2. उस दशा में, जहां इन दिशानिर्देशों के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए किसी नई एलएलपी का सृजन किया जा रहा है, वहां उसके नाम के अनुमोदन की प्रक्रिया चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 190, सीए फर्मों को एलएलपी में संपरिवर्तित करने संबंधी परिषद के दिशानिर्देश, 2011, समय-समय पर इस विषय पर जारी एमसीए परिपत्रों, एलएलपी अधिनियम 2008 के लागू उपबंधों और कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर अनुसरित प्रक्रिया के अनुरूप होगी।

6. पंजीकरण

1. एलएलपी को इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत संस्थान के साथ पंजीकरण कराना होगा तथा सभी साझेदार एलएलपी का विवरण अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, ताकि उनकी संयुक्त क्षमता, भौगोलिक उपस्थिति आदि को दर्शाया जा सके तथा किसी अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उनके लिए फर्म पंजीकरण संख्या निर्दिष्ट की जाए।

7. प्रैक्टिस

1. प्रबंधन बोर्ड का गठन मूल एलएलपी से किया जाएगा और इसमें साझेदार एलएलपी के अधिकृत प्रबंध साझेदार शामिल होंगे तथा सभी आश्वासन, गैर-आश्वासन लेखापरीक्षा कार्यों और अन्य कार्यों के लिए मूल एलएलपी का निर्णय अन्य साझेदार एलएलपी पर लागू होगा।
2. प्रबंध बोर्ड की शक्ति और अधिकार, सभी भागीदारों के बीच करार किए गए लिखित विलेख में अधिकथित निबंधनों के अनुसार होगी, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, एलएलपी अधिनियम 2008, आईसीएआई की आचार संहिता के उपबंधों और अन्यों के साथ परिषद द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन और उसके अनुपालन में होंगी।
3. प्रबंध बोर्ड का गठन इन दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और इसमें भागीदार एलएलपी के प्राधिकृत प्रबंध भागीदार शामिल होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे -

   (क) विनियामक और विधिक अनुपालन,

   (ख) फर्म के कार्यों का प्रबंध,

(ग) नीतिगत निर्णयों को लेना, जिनके अंतर्गत बिजनेस स्ट्रेटजी, वित्तीय प्रबंध, लाभ का विनियोग, लागत को साझा करना, कार्मियों को नियोजित करना, जोखिम प्रबंध, अवसंरचना का विस्तार आदि सम्मिलित हैं किंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं,

(घ) आईसीएआई के एसएसपी पोर्टल पर पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से होगी,

(ङ) फर्म(फर्मों)/प्रैक्टिस से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे साझेदारी विलेख, साझेदारों के इस्तीफे या जुड़ने से संबंधित कागजात, अहर्ता प्राप्त सहायकों की नियुक्ति एवं कार्यमुक्ति, फर्म के किसी गठन या पुनर्गठन हेतु दिए गए अनुमोदन के संबंध में कागजात व विवरण, आदि समय-समय पर आईसीएआई द्वारा मांगे जा सकते हैं यदि उन्हें किसी विवाद या आईसीएआई द्वारा आवश्यक किसी जांच या पुष्टि हेतु इनकी आवश्यकता हो।

(च) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 या आचार संहिता या नैतिकता या एलएलपी फर्म पर लागू किसी भी शासी कानून में किसी भी मुद्दे से उत्पन्न होने वाली लेखा परीक्षा या गैर-लेखा परीक्षा कार्यों के प्रतिबंधों के बारे में वर्तमान भागीदार एलएलपी को स्पष्ट रूप से बताना,

(छ) मूल एलएलपी, भागीदार एलएलपी और एलएलपी में व्यष्टियों के बीच मौजूदा मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करना और युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर परस्पर रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने का प्रयास करना और यदि विवादों का समाधान नहीं हो सका है तो वह मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही करेगा या ऐसे विवादों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा,

(ज) मूल एलएलपी या भागीदार एलएलपी की पैनलबद्ध या निविदा संबंधी प्रक्रियाओं में भागीदारी करने के संबंध में निर्णय लेना,

(झ) मूल एलएलपी, भागीदार एलएलपी के भागीदारों और एलएलपी के व्यष्टिक भागीदारों को शामिल करने या उन्हें निलंबित करने के लिए तंत्र का पुनर्गठन करने के लिए अधिकथन स्पष्ट करना,

(ञ) साख, खातों के निपटान और पुनर्गठन या विघटन के मामले में ग्राहकों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना, और

(ट) ऐसा कोई अन्य मामला, जिसके संबंध में उनके बीच परस्पर सहमति हो।

4. साझेदार एलएलपी के बीच रोटेशन लेखापरीक्षा और संयुक्त लेखापरीक्षा की अनुमति नहीं होगी।

5. एलएलपी के भागीदारों के रूप में सहबद्ध एलएलपी (अर्थात् भागीदार एलएलपी) लिखित विलेख द्वारा आबद्ध हैं और वे लिखित विलेख के निबंधनों के अधीन रहते हुए साथ ही स्वतंत्र एलएलपी फर्म के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकेंगे।

8. विशिष्टियां

1. भागीदार एलएलपी इन दिशानिर्देशों के अधीन संसाधनों को पूल करके, अपनी संयुक्त सुदृढ़ता को प्रदर्शित करके परस्पर फायदों के लिए एकसाथ आ सकती हैं और उस दशा में उनकी नीतियां, प्रौद्योगिकी और संपार्श्विक एकसमान होंगे तथा वे लिखित विलेख में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार स्वयं को एक बड़ी संस्था के रूप में प्रदर्शित कर सकेंगे।

2. सभी फर्मों और उनके भागीदारों द्वारा लिखित उपविधियों/करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनके उपबंध सीए अधिनियम, सीए विनियम, आईसीएआई की नैतिक संहिता और परिषद के दिशानिर्देशों के विपरीत नहीं होने चाहिए।
3. क्वालिटी नियंत्रण को भंलीभाति प्रलेखित और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए, जो मूल एलएलपी और उसकी भागीदार एलएलपी को लागू है।
4. चूंकि सभी एलएलपी चाहे वे मूल कंपनी हों या साझेदार, आईसीएआई के साथ पंजीकृत एलएलपी हैं, इसलिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार उनके बीच कार्य का रेफरल और फीस/लाभ को साझा करने की अनुमति है।

9. पुनर्गठन

1. पुनर्गठन को, समय-समय पर लागू विधियों के अनुसार सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आईसीएआई और अन्य विनियामकों के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए।
2. तथापि, किसी एलएलपी के भागीदारों में होने वाला कोई परिवर्तन, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 की धारा 3(3) के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के अस्तित्व, अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. पुनर्गठन की वजह से मूल एलएलपी के शेष साझेदार एलएलपी उस कार्य को जारी रखने से वंचित नहीं होंगे, जो उन्होंने मूल एलएलपी के आधार पर पहले ही हासिल किया है।
4. किसी भागीदार एलएलपी के पुनर्गठन दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुनर्गठित एलएलपी के भागीदार भी उसके द्वारा मूल एलएलपी के साथ किए गए करार से आबद्ध हैं।

10. भागीदारी से हटना/खत्म करना

1. किसी मूल एलएलपी से किसी भागीदार एलएलपी को हटने के लिए अधिकथित प्रक्रिया या किसी एलएलपी को बंद करने की प्रक्रिया आईसीएआई के लागू नियमों, एलएलपी अधिनियम 2008 के लागू उपबंधों के अनुसार होगी तथा अन्यों के साथ, आरओसी/फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुसरित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा।

11. विविध

1. इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाले एलएलपी को 'डिजी लॉकर' के अनुरूप दस्तावेज़ संग्रह उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका नाम "डॉक लॉकर" है, ताकि वे अपने दस्तावेज़ों को सुरक्षित वॉल्ट में रख सकें और एसएसपी के साथ विधिवत एकीकृत होकर परेशानी मुक्त तरीके से दस्तावेज़ों को एक्सेस कर सकें, उनका उपयोग कर सकें और उन्हें जमा कर सकें। इस "डिजी लॉकर" का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा होने से एलएलपी सहयोग और नेटवर्किंग करते हुए आईसीएआई द्वारा प्रदान की गई तकनीकी-बुनियादी संरचना का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित होगी।
2. एम एंड एस एस निदेशालय के तत्वावधान में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ इन दिशानिर्देशों के तहत उभरते मुद्दों पर प्रश्नों का समाधान करेगा।

3. एलएलपी अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार, भारत के भीतर या बाहर गठित एक निगमित निकाय एलएलपी का भागीदार बनने के लिए पात्र है। तथापि, इन दिशानिर्देशों के अधीन, किसी निगम निकाय को, जिसे भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 या भारत से बाहर लागू विधियों के अधीन कंपनी के रूप में निगमित किया गया है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार किसी मूल एलएलपी का भागीदार बनने के लिए पात्र होने की अनुमति नहीं दी गई है।

डॉ. जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./921/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Chartered Accountants)

NOTIFICATION
New Delhi, 23rd January, 2025

No. 1-CACAF/LLP-F/2025- In exercise of the powers conferred by Section 15(2) (fa) of the Chartered Accountants Act, 1949, as amended from time to time, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby makes the following Guidelines, namely:-

1. Short title and commencement

(1) These guidelines are called ICAI (Aggregation of LLPs) Guidelines 2024.
(2) It will be effective from the date of its notification in the gazette of India.

2. Definitions

In these guidelines, unless the context otherwise requires, the following expression shall have the meaning assigned to it in the respective definition:

a. Institute/ICAI: 'Institute'/ 'ICAI' means the Institute of Chartered Accountants of India established under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949.

b. Council: 'Council' means the Council of the Institute constituted in accordance with Section 9 of the Chartered Accountants Act, 1949.

c. Act: ' Act' means the Chartered Accountants Act, 1949 (No.38 of 1949) as amended from time to time.

d. Limited Liability Partnership/LLP: 'Limited Liability Partnership'/'LLP' shall have the meaning assigned to it in section 2(ca) of the Act and registered with ICAI.

e. Parent LLP: Parent LLP means LLP consisting of more than 50% of Chartered Accountants as its partners which is admitting another LLP as its partner.

f. Partner LLP: Partner LLP means LLP consisting of more than 50% of Chartered Accountants as its partners which is joining another LLP as a partner.

3. Eligibility

1. Any full-time practicing Chartered Accountant/(s) (CA) or Limited Liability Partnership (LLP) where more than 50% of partners are practicing Chartered Accountants registered with ICAI may form a new LLP or join an existing LLP as a partner provided that the individual full time practicing Chartered Accountants should not be less than two at any given time in compliance with Section 7 of the LLP Act,2008. The same is applicable to both parent/partner LLP.
2. The majority or more than 50% criteria for the purpose of computing eligibility shall be calculated both on the basis of the number of partners as well as their aggregate share of profits in the LLP so that the majority criteria is established both for parent and partner LLPs.
3. The number of individual partners, shall at all times, be in majority, i.e., more than 50% both in numbers of partners as well as their aggregate share of profits vis-à-vis the LLP partners.
4. The partner LLP can become partner of only one parent LLP under these guidelines. Similarly, parent LLP cannot become partner of any other LLP.

4. Governing Provisions

1. The constitution of LLP will be governed by the applicable provisions of 'Chartered Accountants Act 1949', 'LLP Act 2008', 'Council guidelines for conversion of CA Firms into LLPs 2011' as amended from time to time, MCA circulars issued on the subject among others as amended from time to time.

5. Naming Clause

1. When four Indian LLPs, viz. A & Co. LLP, B & Co. LLP, C & Co. LLP and D & Co. LLP, where more than 50% of partners are practicing Chartered Accountants (CAs) and are registered with the Institute as per the stated criteria may come together to form a LLP or join existing LLP as partners as per the applicable provisions of 'Chartered Accountants Act 1949', 'LLP Act 2008', 'Council guidelines for conversion of CA Firms into LLPs 2011', MCA circulars issued on the subject among others as amended from time to time.

2. In case a new LLP is being formed for availing the benefits under these Guidelines, the name approval process shall be in line with the Regulation 190 of the Chartered Accountants regulations 1988, Council guidelines for conversion of CA Firms into LLPs 2011, MCA circulars issued on the subject from time- to-time, applicable provisions of the LLP Act 2008 and the practice followed by the ROC from time to time.

6. Registration

1. The LLPs should have to register under these guidelines with the Institute and the details of all the partner LLPs will be given effect in the records to reflect the combined strength, geographical presence among others and a firm registration number be given as per the procedure followed in case of any other Chartered Accountant LLP.

7. Practice

1. The Board of Management shall be constituted by the parent LLP and it should comprise of the authorized Managing Partners from the partner LLPs and the parent LLP's decision shall prevail over other partner LLPs for all assurance, non-assurance audit works and for other assignments.
2. The Board of Management shall draw its powers and authority in accordance with terms outlined in the written deed agreed upon by all the partners that shall be subject to and in compliance

with the provisions of the Chartered Accountants Act 1949, LLP Act 2008, ICAI's Code of Ethics and Council Guidelines among others from time to time.

3. The Board of Management shall be constituted under these guidelines, comprising of the authorized Managing Partners from the partner LLPs, that shall ensure –
    (a) regulatory and legal compliances,
    (b) manage affairs of the firm,
    (c) undertake strategic decisions including but not limited to business strategy, financial management, profit appropriation, cost sharing, hiring of personnel, risk management, infrastructure expansion, etc.,
    (d) entire process of registration at the SSP portal of ICAI through online mode,
    (e) all the documents pertaining to the firm/(s)/practice like partnership deed, papers relating to resignation or joining of partners, employment and relieving of qualified assistants, papers and details regarding the approvals given for any constitution or re-constitution of the firm, etc. from time to time which may be called upon by the ICAI in case they are required for any dispute or any enquiry or confirmation required by the ICAI,
    (f) clearly state to the incumbent partner LLPs about the restrictions of audit or non-audit works likely to arise from Section 144 of the Companies Act 2013 or any issue in code of conduct or ethics or in any Governing law applicable to the LLP firm at the time of joining itself,
    (g) establish dispute resolution mechanism to review the matters among parent LLP, partner LLPs and individuals in LLP/(s) and endeavour to reach a mutually acceptable resolution within a reasonable timeframe, if the disputes remain unresolved, it shall proceed to mediation or shall be referred to arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996,
    (h) decide upon the participation of the parent LLP or partner LLPs in empanelment or tendering processes,
    (i) clearly lay down the reconstitution mechanism encompassing the joining or suspension of partners of parent LLP, partner LLP and individual partners of LLP/(s),
    (j) decide upon the matters relating to goodwill, settlement of accounts and clients in case of reconstitution or dissolution among others, and
    (k) Or any other matter agreed amongst them.

4. Rotation of audit and joint audit amongst partner LLPs will not be permitted.
5. The LLPs associated as partners of the LLP (i.e. partner LLPs) are bound by written deed and may also practice as independent LLP firm simultaneously, subject to terms of written deed.

8. Characteristics

1. Partner LLPs come together under these guidelines for mutual benefits by pooling resources, showcase their combined strength, and have uniform policies, technology and collaterals, and showcase themselves as one big unit as per the terms outlined in the written deed.
2. Written byelaws / agreement is entered by all firms & their partners, the provisions of which should not run contrary to CA Act, CA Regulations, ICAI Code of Ethics and Council Guidelines.
3. Quality control should be well documented and complied with, which is applicable to the parent LLPs and its partner LLPs.
4. Since all LLPs either parent or partner are LLPs registered with ICAI, referral of work and sharing of fees/ profits amongst them is permitted as per the applicable provisions of Chartered Accountants Act 1949.

9. Reconstitution

1. Reconstitution must be registered with ICAI and with others regulatory bodies following the due procedure as per the applicable laws from time to time.
2. However, any change in the partners of a LLP shall not affect the existence, rights, or liabilities of the limited liability partnership, as per the Section 3(3) of the Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008.
3. Reconstitution will not deprive the remaining partner LLPs of the parent LLP from continuing the work they have already secured by virtue of parent LLP.
4. The reconstitution in any of partner LLP must ensure that the partners in the reconstituted LLP are also bound by the agreement entered by it with parent LLP.

10. Exit/Closure

1. The laid down process for exit as a partner LLP from a parent LLP or the closure of the LLP as per the applicable rules of ICAI, LLP Act 2008, procedures followed by the ROC/Registrar of firms among others shall be followed.

11.Miscellaneous

1. Document repository in line with the 'Digi Locker' is proposed to be provided, named as "Doc Locker", to LLPs opting for these guidelines to place their documents in a secured vault and can access, use and submit the documents hassle free, duly integrated with the SSP. This "Digi Locker" can be used for other purposes also. The said arrangement will encourage the LLPs to take the leverage of tech-infrastructure provided by ICAI while collaborating and networking.
2. A Grievance Redressal Cell under the aegis of M&SS Directorate will cater to the queries on the emerging issues under these guidelines.
3. As per the provisions of the LLP Act 2008, a body corporate constituted within, or outside India is eligible to be a partner in the LLP. However, under these Guidelines, a body corporate which has been incorporated as a Company under Companies Act 2013 in India or under applicable laws outside India has not been permitted from being eligible to be a partner to parent LLP, in alignment with the provisions of Section 25 of the Chartered Accountants Act 1949.

Dr. JAI KUMAR BATRA Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./921/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.